प्रक्रिया :

1. उक्त निर्दिष्ट बजट मद के अनुसार ही अनुदान की राशि का व्यय किया जाना है। इसमें से किसी भी मद में 10 प्रतिशत व्यय कम या अधिक विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर किया जा सकता है किन्तु वार्षिक व्यय की अधिकतम सीमा राशि रू. 5000/– ही रहेगी।
2. विद्यालय स्वच्छता अनुदान की राशि रू. 5000/– (प्रति वर्ष) के अतिरिक्त विद्यालय सुविधा अनुदान (एसएफजी) में से शौचालय में सामान्य मरम्मत यथा नल/ वाश बेसिन/डब्लू.सी./टंकी/हैण्डपम्प इत्यादि के रिपेयर तथा पेयजल व्यवस्था हेतु राशि रू. 1000/– वार्षिक व्यय की जा सकती है।
3. एसएमसी विद्यालय में स्वच्छता से सम्बधित आवश्यक सामग्री का चिन्हीकरण करें।
4. समग्री क्रय कर रोकड़ बही, स्टॉक रजिस्टर, बिल वाउचर्स को सुव्यवस्थित संधारित करें।
5. वर्ष पर्यन्त काम आने वाली स्वच्छता सामग्री का क्रय एक साथ विद्यार्थियों के नामांकन के आधार पर किया जाना है।
6. शौचालय की साफ सफाई हेतु किसी भी कार्मिक को कार्य आधारित भुगतान किया जाना है।
7. विद्यालय में स्थित पानी की टंकियों की मासिक रूप से साफ–सफाई सुनिश्चित की जावे एवं टंकी पर अंतिम सफाई की तिथि अंकित की जावें।
8. दैनिक साफ–सफाई की व्यवस्था का दायित्व विद्यालय के एक अध्यापक/अध्यापिका एवं बाल संसद के सदस्यों (रोटेशन आधारित) को दिया जाए।
9. प्रधानाध्यापक द्वारा भी विद्यालय में उपलब्ध स्वच्छता सुविधाओं एवं सफाई का आवश्यक रूप से निरीक्षण किया जावे, जिससे उनकी स्वच्छता सुनिश्चित की जा सके। वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि विद्यालय समय में शौचालय पर ताला न लगा हो।
10. विद्यालय के शौचालयों/मूत्रालयों में नियमित पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए जिससे बच्चें व शिक्षक उपयोग उपरान्त पानी डालकर उन्हें साफ रख सके।
11. जिला एवं ब्लाक स्तरीय अधिकारियों द्वारा विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान विद्यालय परिसर, शौचालय/मूत्रालय, पेयजल सुविधा एवं कक्षा कक्षों की स्वच्छता का आवश्यक रूप से अवलोकन किया जा कर विद्यालय अवलोकन प्रपत्र में टिप्पणी अंकित की जानी चाहिये।
12. विद्यालय स्वच्छता अनुदान की राशि का विवरण विद्यालय की कैशबुक में नियमित इन्द्राज किया जावें।
13. वित्तीय वर्ष समाप्ति पर संस्था प्रधान द्वारा निर्धारित प्रपत्र (संलग्न प्रारूप) में उपयोगिता प्रमाण पत्र नोडल प्रधानाध्यापक के माध्यम से तीन प्रतियों में सर्व शिक्षा अभियान के जिला कार्यालय को भिजवाया जाऐं।

...लय स्वच्छता अनुदान का उपयोग निम्न मदों में व्यय नहीं किया जावें –

1. जलपान आदि पर।
2. चाक–डस्टर इत्यादि।
3. विद्यालय के रंगरोगन या मरम्मत पर
4. उत्सव आयोजन पर।
5. स्टेशनरी
6. अखबार
7. विज्ञान/गणित किट सामग्री का क्रय

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

क्रमांक : F.5(4)(118)/RCEE/SWSHE/S.GRANT-2014/ 3747 दिनांक : 21/8

परिपत्र

विद्यालय स्वच्छता अनुदान उपयोग हेतु दिशा –निर्देश

राज्य के लगभग सभी राजकीय विद्यालयों में पेयजल एवं बालक बालिकाओं के लिए पृथक पृथक शौचालय सुविधा उपलब्ध करवाई जा चुकी है। उपलब्ध करवाई गई शौचालय एवं पेयजल सुविधाऐं नियमित रखरखाव एवं साफ–सफाई के अभाव में उपयोग लेने योग्य नहीं रह पाती है।

एस.एफ.जी. के अन्तर्गत प्रदत राशि में स्वच्छता सुविधाओं के रख–रखाव के पर्याप्त प्रावधान न होने के कारण पंचायती राज विभाग द्वारा निर्बन्ध राशि के अन्तर्गत विद्यालय स्वच्छता अनुदान राशि का प्रावधान किया गया है। इस मद के अन्तर्गत रू. 5000/– रूपये वार्षिक (रू. 500/– प्रति माह प्रति विद्यालय 10 महिने के लिए) का प्रावधान किया गया है जिससे प्रत्येक शौचालय/मूत्रालय की नियमित साफ–सफाई हो सके तथा हाथ धोने के लिए साबुन का भी प्रावधान हो सकें। यह अनुदान केवल ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों को देय है।

विद्यालय स्वच्छता अनुदान का उपयोग निम्न प्रकार किया जाना है :–

(अ) वर्षपर्यन्त स्वच्छता से सम्बधित निम्न सामग्री क्रय करने एवं साफ–सफाई क पारिश्रमिक के लिए राशि का उपयोग निम्नानुसार किया जा सकता है :–

क्र.स.	सामग्री/मद	अधिकतम व्यय की जाने वाली (राशि रू.)
1	बाल्टी एवं मग	600
2	नेलकटर	100
3	कचरापात्र (कक्षा कक्ष की संख्या के अनुसार)	400
4	आईना	100
5	हाथ धोने के लिए पूरे शैक्षणिक सत्र हेतु साबुन का क्रय	1000
6	शौचालयों को साफ करने हेतु आवश्यक सामग्री (ब्रुश, झाडू, हल्का तेजाब आदि।	500
7	वर्षपर्यन्त शौचालय की नियमित साफ–सफाई हेतु पारिश्रमिक	2000
8	वर्षपर्यन्त पानी की टंकी के नियमित साफ–सफाई हेतु पारिश्रमिक	400
	योग	5000

Scanned by CamScanner

8. खेल सामग्री का क्रय
9. पेड़–पौधे क्रय करनें पर।
10. निर्दिष्ट गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य आवर्ती व्यय
11. बिजली के बिल का भुगतान

विद्यालय स्वच्छता अनुदान उपयोग के सूचक :

1. विद्यालय में समस्त छात्र–छात्राऐं मिड–डे–मील से पूर्व एवं शौच के पश्चात नियमित साबुन से हाथ धोतें है।
2. विद्यालय के शौचालय/मूत्रालय एवं पेयजल सुविधा, कक्षा कक्ष व परिसर साफ एवं इस्तेमाल करनें योग्य है।
3. विद्यालय का वातावरण साफ–सुथरा है। विद्यालय में कचरा निष्पादन हेतु एक उचित व्यवस्था निर्धारित है।
4. स्वच्छता अनुदान उपयोग का सामग्री क्रय व वितरण विवरण रजिस्टर उपलब्ध हैं एवं संधारित है।

विद्यालय स्वच्छता अनुदान – उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रारूप प्रति वर्ष

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2013–14 में _____विद्यालय (नाम) को प्राप्त विद्यालय स्वच्छता अनुदान राशि रू._____दिनांक _____का उपयोग उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया गया जिनके लिए उन्हें स्वीकृत किया था। शेष राशि (यदि कोई हो) रू._____इस मद में अभिशेष है। विद्यालय के समस्त शौचालय एवं पेयजल सुविधा स्वच्छ व कार्यशील है। विद्यालय के समस्त विद्यार्थियों द्वारा स्वच्छता सुविधाओं का नियमित उपयोग किया जाता है एवं साबुन से हाथ धोये जाते है।

हस्ताक्षर, संस्था प्रधान

उपरोक्त दिशा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित की जावें।

16/4/14

शासन सचिव,
स्कूल शिक्षा विभाग

प्रतिलिपी सूचनार्थ –

1. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, जयपुर
3. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, जयपुर
5. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, जयपुर
6. जिला कलेक्टर, समस्त जिलें।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त जिलें।
8. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा. शि.) समस्त जिलें।
9. जिला शिक्षा अधिकारी (मा शि.) समस्त जिलें।
10. अति. जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान, समस्त जिलें।
11. अति. जिला परियोजना समन्वयक, रा.मा.शि.अ. समस्त जिलें।
12. श्री पंकज माथुर, परियोजना अधिकारी, यूनिसेफ, जयपुर
13. समस्त विद्यालय प्रबन्धन समिति _____

16/4/14

अति. आयुक्त, राप्रशिप

Scanned by CamScanner